

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं०

116/2025

तारीख रजू :- 11/06/2025

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई०डी० नम्बर 2025/265

उनवान

पदमसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज०

—सायल

बनाम

कश्मीरा पत्नि प्रभु जाति जाटव निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण-16

दिनांक

फर्द अहकाम

यह दावा वादीगण की ओर से श्री पी एल गोयल एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलाव किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.07.2025 को पेश हो।


(हेमराज गुर्जर)

उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

राजिनामा ले
दावा विज्ञापन करे

पदमसिंह
9.7.
कोर्ट

37 पत्रावली मिशल तलवी पर पेश
हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित।

वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर
उत्तर को नोट उस करने का
कठकोच किया गया। कल 15.7.

116/2025 दावा पदमसिंह बनाम
कश्मीरा नं० नोट उस में खातिज
किया जाकर, पत्रावली कैसल शुमार
को कर, नम्बरान से कम कर प्रारिण
फर्द कर है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)